संख्या–3865 / 9–आ–4–433एन / 97

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **उपाध्यक्ष,**
   विकास प्राधिकरण, (नगर निगम क्षेत्र)
   आगरा, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर,
   वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़,
   गोरखपुर, गाजियाबाद तथा लखनऊ।
3. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक : 10 जनवरी, 2000

विषय : आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को सामर्थ्य व क्षमता के आधार पर आवासीय सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु निर्माण कार्य के निमित्त नजूल भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2311 / 9–आ–4–97–433एन / 97, दिनांक 15 सितम्बर,, 1997 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2(1) में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को आश्रय योजना के अन्तर्गत निर्बाध रूप से रिक्त नजूल भूमि, जिसका सर्किल रेट रू. 300 / – प्रति वर्ग मीटर से अधिक नहीं है, चयनित किये जाने की शर्त रखी गयी थी। तथा इसी शासनादेश के प्रस्तर–2(5) में यह भी शर्त रखी गयी थी कि योजना के लिए स्थान चयन के उपरान्त नजूल भूमि के आवंटन का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जायेगा तथा शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही योजना का कार्यान्वयन किया जा सकेगा।

2. उपरोक्त व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक–15.9.1997 के प्रस्तर–2(1) में उल्लिखित प्रयोजन हेतु निर्बाध रूप से रिक्त चयनित नजूल भूमि, जिसका सर्किल रेट रु. 300 / – प्रति वर्ग मीटर से अधिक नहीं है, के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को अपने स्तर से कार्यवाही किये जाने हेतु प्राधिकृत कर दिया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 (5) में आवंटन प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या– 3865 (1)/9–आ–4–99–433एन/97 तद्दिनांक :–
प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

जावेद एहतेशाम
उप सचिव